न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 189 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :—11.09.2023

GCMS ID—2023 / 275

उनवान

1. गोपाललाल आ. श्री छोटूलाल जातियान मीणा निवासीगण नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. परमेश्वर आ. श्री छोटूलाल जातियान मीणा निवासीगण नठावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री महेश नामा

वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 26.06.2025

प्रार्थीगण के सामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 11 ख. सं. 968 रकबा 0.6799 हैक्टेयर, ख.सं. 969 रकबा 2.6952 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.3751 हैक्टेयर वाके ग्राम नाडाहेत पटवार मण्डल बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने हेतु एक रास्ता ख.सं. 3517 / 3489 पर बना हुआ है, उक्त रास्ता की भूमि सिवायचक है, जिसकी चोडाई 20 फिट है, उक्त रास्ते का प्रार्थीगण सदियो से आते जाते आ रहे है एवं अपने ट्रेक्टर, ट्रोली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से लाते ले जा रहे है। उक्त रास्ता मौके पर मोजूद है, परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अंकित नहीं है, अतिक्रमियों द्वारा उक्त रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बन्द करने के फिराक में है, वर्तमान समय मे राजकीय भूमियो मे बढते अतिक्रमण की स्थिति के मध्यनजर प्रार्थीगण के मोजूदा रास्ते की भूमि मे भी अतिक्रमण की सम्भावना प्रबल है। भविष्य में किसी भी व्यक्ति से रास्ता सम्बन्धित विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थीगण के आने जाने के मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे रास्ता घोषित किया जाकर दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतिक्रमण द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने की सम्भावना को देखते हुये प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु सिवायचक भूमि ख.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सं. 3517/3489 में से 20 फिट चोडे रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थीगण को अपने खेतो तक आने जाने हेतु 251 ए आर.टी. एक्ट के तहत रास्ता घोषित करवाने का अधिकार है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जमा करवाने हेतु तैयार है। उक्त मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने हेतु पूर्व मे तहसीलदार साहब से निवेदन किया था उनके आदेश पर दिनांक 26.07.2023 को हल्का पटवारी बडोदिया द्वारा मौका देखा गया और मौका रिपोर्ट बनाई गई, जिसमे यह अंकन किया गया कि उक्त सिवायचक भूमि पर रास्ता प्राप्त करने के लिये समक्ष न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करे इसलिये प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रार्थी की खाते की भूमि ग्राम नाडाहेत तहसील हिण्डोली मे विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि भूमि खाता संख्या 11 ख.सं. 968 रकबा 0.6799 हैक्टेयर, ख.सं. 969 रकबा 2.6952 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.3751 हैक्टेयर वाके ग्राम नाडाहेत पटवार मण्डल बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे आने जाने हेतु सिवायचक भूमि ख.सं. 3517/3489 में से 20 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड नाडाहेत मे दर्ज करने के आदेश फरमावे अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली ने पत्रांक :–राजस्व/25/1590 दिनांक :–02.06.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम नाडाहेत के खसरा संख्या 968, 969 में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 3517/3489 में से 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी सहखातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 3517/3489 में से रास्ता चाहा है जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है में से 58 गठ्ठा लम्बा व 3 गठ्ठा चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की आंत्यतिक आवश्यकता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 968, 969 वाके ग्राम नाडाहेत पटवार मण्डल बडौदिया में आने—जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नाडाहेत के खसरा नम्बर 3517/3489 जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है जिसमें से 58 गठ्ठा लम्बे व 3 गठ्ठा चौडे रास्ते में कुल (0.0710 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 850000/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 3517/3489 में से रकबा 0.0710 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 60350/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 120700/रू— का भुगतान सम्बन्धित अप्रार्थीगण खातेदारान को करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 26.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446